प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 10.09.2021

35 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना गुलिरहा पर दिनांक 09.09.2021 को विरष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा कड़े निर्देश दिये गये थे। जिनके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण मे, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलिरहा के चलाये जा रहे शराब निष्कर्षण अभियान के तहत अभियुक्ता उर्मिला पत्नी सुरेन्द्र निषाद निवासी सराय गुलिरहा थाना गुलिरहा जनपद गोरखपुर की गिरफ्तारी की गयी जिनके कब्जे से 35 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 501/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादिव पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्ता का नाम व पता:-

उर्मिला पत्नी सुरेन्द्र निषाद निवासी ग्राम सराय गुलरिहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 501/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

ग्राम सराय गुलरिहा दिनांक 09.09.2021 समय 18.00 बजे

अभियुक्ता के पास से बरामदगी का विवरण

बरामदगी 35 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

- 1. उ0नि० श्री अजय वर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 2. उ0नि0 श्री उ0नि0 राकेश कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 3. 30नि0 श्री सुनील कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- हे0का0 अनिल कुमार थाना गुलिरहा जनपद गोरखपुर
- 5. का0 दयाशंकर पटेल थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
- 6. म0का0 पूजा कुमारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर